

समस्त जोनल एडीशनल कमिशनर /

एडीशनल कमिशनर ग्रेड-2(वि0अनु0शा0)/

ज्वाइंट कमिशनर(वि0अनु0शा0)/ (कार्यपालक)

उत्तर प्रदेश ।

मुख्यालय के परिपत्र संख्या-1718046 दिनांक 07-11-2017 से सचलदल इकाइयों द्वारा धारा-129 के अन्तर्गत की जाने वाली कार्यवाही एवं माल अवमुक्त किए जाने के सम्बन्ध में निर्देश जारी किए गए हैं। इन निर्देशों के अन्तर्गत चालान जनरेट कराए जाने के सम्बन्ध में यह व्यवस्था है कि यदि जमाकर्ता पंजीकृत है तो उस स्थिति में उनके द्वारा स्वयं पोर्टल पर चालान जनरेट करते हुए धनराशि सुसंगत अधिनियमों की अर्थदण्ड के मद में जमा कराई जाएगी। यदि जमाकर्ता द्वारा स्वयं चालान जनरेट करते हुए ऑनलाइन भुगतान नहीं किया जाता है तो ऐसी स्थिति में देय धनराशि डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा कराई जाएगी और पोर्टल पर पंजीकृत व्यापारियों से सम्बन्धित धनराशि जमा कराने की व्यवस्था हो जाने पर यह धनराशि सुसंगत अधिनियम की अर्थदण्ड के मद में जमा कराई जाएगी। अपंजीकृत के सम्बन्ध में धनराशि जी0एस0टी0एन0 पोर्टल पर चालान जनरेट कर जमा कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं तथा इस हेतु जोनल एडीशनल कमिशनर द्वारा प्रत्येक सम्भाग में एक-एक कर निर्धारण अधिकारी को नामित करने की अपेक्षा की गई है।

वर्तमान में पंजीकृत व्यापारियों से अर्थदण्ड जमा कराने हेतु अधिकारियों द्वारा चालान जनरेट कराए जाने के सम्बन्ध में जी0एस0टी0 पोर्टल पर व्यवस्था उपलब्ध हो गई है जिसका विवरण निम्न प्रकार है :-

अधिकारियों द्वारा जी0एस0टी0 पोर्टल पर अपनी यूजर आईडी0 एवं पासवर्ड से लॉगिन करके Payments option क्लिक करने पर Create Challan का ऑप्शन उपलब्ध है जिसे क्लिक करने पर GSTIN / Temporary ID फिल करने का ऑप्शन उपलब्ध होगा जिसको फिल करके Proceed का बटन दबा कर Tax Liability से सम्बन्धित नियमानुसार सभी Relevant फील्ड्स को भरने के बाद सम्बन्धित बैंक को सेलेक्ट करके चालान जनरेट किया जा सकता है। यह व्यवस्था भी खण्ड के अधिकारियों के लॉगिन पर ही उपलब्ध है।

अतः उपरोक्त व्यवस्था के सुलभ क्रियान्वयन हेतु प्रत्येक लोकेशन पर ज्वाइंट कमिशनर(वि0अनु0शा0) व ज्वाइंट कमिशनर(कार्यपालक) की आपसी सहमति से एक या एक से अधिक खण्डों के अधिकारियों को नामित किया जाएगा। जिनकी लॉगिन आईडी0 से पंजीकृत तथा अपंजीकृत दोनों प्रकार के व्यक्तियों / व्यापारियों द्वारा जमा नकद धनराशि का चालान जनरेट किया जा सकेगा। नामांकन की यह प्रक्रिया दिनांक 15-11-2017 तक पूर्ण कराते हुए सूचना मुख्यालय के सचलदल अनुभाग को प्रेषित की जाएगी।

कृपया उपरोक्त निर्देशानुसार जी0एस0टी0 पोर्टल पर पंजीकृत तथा अपंजीकृत दोनों प्रकार के व्यक्तियों / व्यापारियों से सम्बन्धित जमा अर्थदण्ड धनराशि को जमा कराए जाने की व्यवस्था सुनिश्चित कराएं।


13/11/17
(मुकेश कुमार मिश्रा)

कमिशनर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।